

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं प.क. सेवार्यें राज0 जयपुर


क्र. मांक :- ई-18/एम/वॉल्यूम-11/2018/

दिनांक :

संशोधित आदेश

निदेशालय के आदेश क्रमांक ई-18/एम/वॉल्यूम-11/2018/494 दिनांक 12.01.2018 के द्वारा क्रम संख्या 4 पर अंकित श्री लक्ष्मण लाल शर्मा, अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, दौसा के दिनांक 31.07.2018 से सेवानिवृति आदेश जारी किये गये थे। निदेशालय के आदेश क्रमांक ई-18/एम/डीपीसी/प्र.अ./292/18/171 दिनांक 23.03.2018 के द्वारा प्रशासनिक अधिकारी के पद पर पदोन्नति होने के फलस्वरूप कर्मचारी के सेवानिवृति आदेशों में श्री लक्ष्मण लाल शर्मा का पदनाम अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, दौसा के स्थान पर प्रशासनिक अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर-द्वितीय पदा जावें।

आदेश की शेष शर्तें यथावत रहेगी।


(राकेश शर्मा)


अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवार्यें

राजस्थान, जयपुर

दिनांक : 10/05/18

क्र. मांक :- ई-18/एम/वॉल्यूम-11/2018/492
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, दौसा/जयपुर-द्वितीय।
3. संस्थापन अधिकारी, राजपत्रित अनुभाग, मुख्यालय।
4. डीपीसी, अराजपत्रित अनुभाग, मुख्यालय।
5. श्री लक्ष्मण लाल शर्मा, प्रशासनिक अधिकारी को सूचनार्थ।
6. प्रभारी, सर्वर रूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करें।
7. आदेश/निजी पत्रावली।


अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवार्यें
राजस्थान, जयपुर